यहाँ पर भी कोई प्रमाणों पर कोई प्रभाव नहीं होता। उस केस में, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दावा की याचिका को 21 दिसंबर, 1974 को अनर्हता के लिए खारिज कर दिया गया था और बाद में इस दावा याचिका को पुनर्स्थापन के लिए दी गई आवेदन को भी खारिज कर दिया गया था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निर्णय लिया कि अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दूसरी दावा याचिका संभव नहीं है। अनुमोदन का विकल्पिक तर्क यह भी था कि हालांकि दावेदारों को अधिनियम की धारा 110-ए के तहत मुआवजा नहीं मिला था, फिर भी उन्हें 1923 के कार्यमें अनुदान किया जाना चाहिए था, यह भी खारिज कर दिया गया था निम्नलिखित विचारों के साथ :— "1923 के अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रक्रिया का स्वभाव विभिन्न है। दोनों अधिनियमों के तहत दावा लगाने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं और सीमाएं निर्धारित की गई हैं। दोनों उक्त अधिनियमों के तहत मुआवजा देने के तरीके में महत्त्वपूर्ण अंतर है। इस प्रकार मेरी राय में हादसा दावा ट्रिब्यूनल ने मोटर वाहन अधिनियम के निर्धारित प्राधिकरण के रूप में 1923 के अधिनियम के तहत अधिकार नहीं प्रयोग कर सकता था।" इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त दो निर्णयों का कोई भी अनुप्राणित अनुपात हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। (5) इन वजहों के आधार पर, हमें अपील में कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई दी और हम उसे न्यायिक शुल्क के बिना खारिज कर देते हैं।

समक्ष एम .एम .पंच्ही, न्यायाधीश।

पृथ्वीराज सिंह,—याचिकाकर्ता।

बनाम

पवनवीर कौर—प्रतिक्रियाता।

क्रिमिनल मिस .संख्या 2195-एम ऑफ 1985

17 दिसंबर, 1985।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता) 1974 का II)—धारा 125—पत्नी का आर्थिक सहारा के लिए आवेदन मंजूर—पत्नी का बकाया का दावा—क्या किसी प्रकार मृतक पति की मृत्यु के बाद भी कानूनी है—; पति की संपत्ति—क्या उसे अपनी मृत्यु के बाद भी किसी अवधि के आर्थिक सहारा आदेश का भार देना पड़ सकता है। निर्णय, कि किसी मृत पति की मृत्यु के बाद वह किसी भी जांच में शामिल नहीं हो सकता है जो धारा 488 की पुरानी कोड के अधीन उप-अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी प्रस्ताव के तहत उसकी उपस्थिति या उसके वकील की आवश्यकता होती थी, और इसके अतिरिक्त, उसकी मृत्यु से, पति को बिना पर्याप्त कारणों के, धारा 488 की पुरानी कोड के अनुच्छेद) 3) में विचारित आदेश का पालन नहीं किया गया है, को उसे असफल नहीं किया जा सकता। विधान की योजना में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि अब नये आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के धारा 125 के तहत

किसी भी जांच में पति या उसके वकील की उपस्थिति जब भी साक्ष्य दर्ज किया जाता है, वह अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है और जब तक पति जीवित है, वह न्यायालय के पास आ सकता है और अपनी ओर से उसके अनुसार असफलता के पीछे योग्य कारणों का निवेदन कर सकता है। यह तथ्य कि उसने, पर्याप्त कारणों के बिना, आदेश का पालन नहीं किया था, अब उसकी उपस्थिति में तय नहीं होनी चाहिए और इस संबंध में प्राथमिक रूप से सबूत पर, मैजिस्ट्रेट बकाया भरती के लिए कानून को आगे बढ़ा सकता है जब तक कि पति उसकी ओर से पर्याप्त कारण या वजह निवेदित करने और सिद्ध करने का प्रयास न करें। यदि ऐसा आपत्ति नहीं उठाई गई है तो आपराधिक अदालत को समझौते की अनुपस्थिति का मानना करना उचित होगा कि पर्याप्त कारण या वजह की अनुपस्थिति है क्योंकि आर्थिक सहारा के बकाया हैं और यह मान्य हो सकता है जब तक पति की मृत्यु की तारीख तक। सिर्फ उसकी मृत्यु के बाद ही वह प्रामाणिक कारण दिखाने के लिए अछूता होता है और एक आदेश निष्पाद्य हो जाता है, क्योंकि कानून द्वारा प्रदत्त अवसर उसकी मृत्यु के साथ मर जाता है। इस प्रकार, उसकी संपत्ति पति की मृत्यु की तारीख के बाद किसी भी अवधि के लिए आर्थिक सहारा आदेश के लागू होने का भार नहीं उठा सकता है लेकिन यह आदेश उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए उसके खिलाफ लागू होता है।

(पैरा 6)

धारा 482 के तहत धारा 397 के साथ याचिका प्रार्थना करते हुए कि :—

(i) मामले के रिकॉर्ड बुलाए जाएं।

(ii) 11 मार्च, 1985 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा दिया गया आदेश) पूरक P/5) और चंडीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सभी आगे के कार्यवाहियों को रद्द किया जाए।

(iii) चंडीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के साथ आगे के कार्यवाहियों को इस याचिका के निर्णय तक ठप्प कर दिया जाए।

(iv) जैसा समझा जाए, वैसे अन्य और आदेश दिया जाए।

के .एस .ग्रेवाल, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

डी .एन .रामपाल, वकील और डी .एस .चहल, वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

मदन मोहन पंच्ही, जे.

1. वर्तमान में जिस प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है वह यह है कि क्या पति की मृत्यु के कारण पत्नी का भरण-पोषण की बकाया राशि का दावा अब और अधिक लागू करने योग्य है। यह प्रश्न आगे उल्लिखित तथ्यों पर आधारित है।

2. पवनवीर कौर, प्रतिवादी जिसे इसके बाद पत्नी के रूप में संदर्भित किया गया है) ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया। 5-2-1979 को उनके पति मेजर जोगिंदर पाल सिंह (बाद में पति के रूप में संदर्भित) के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के समक्ष पीसी ने रुपये का दावा किया। भरण-पोषण के रूप में 500/- प्रति माह। दावे के अनुसार भरण-पोषण की अनुमति न्यायालय द्वारा 10-8-1982 को 5-2-1979 से दी गई थी। 10-2-1983 को, उसने सीआरपीसी की धारा 128 के साथ पठित धारा 125(3) के तहत एक आवेदन दायर किया । रुपये की वसूली के लिए उसी न्यायालय के समक्ष पीसी। 5-2-1979 से 4-2-1983 तक की अवधि के लिए 24,000/- भरण-पोषण भत्ते के रूप में। पति की संपत्ति के खिलाफ कुर्की का उचित वारंट जारी किया गया था और साथ ही पति को जेल में हिरासत में रखकर बकाया राशि का सशर्त वारंट भी जारी किया गया था। इसी दौरान 29-5-1983 को पति की मृत्यु हो गयी. जैसा कि पहले से प्रतीत होता है, पति ने 20-8-1981 को एक वसीयत निष्पादित की थी और 16-9-1981 को सब-रजिस्ट्रार, कानपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें उनकी मृत्यु के बाद, उनकी चल और अचल संपत्ति की वसीयत की गई थी। याचिकाकर्ता उनका भतीजा पृथ्वीराज सिंह, नाबालिग पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह, निवासी 3/106, विष्णु पुरी, कानपुर। वसीयत 25-9-1981 को रजिस्ट्रार की किताबों में पंजीकृत की गई थी। वसीयत के अनुसार, एक आरके लाल एडवोकेट को आदेश दिनांक के तहत वसीयत का निष्पादक नियुक्त किया गया था। 26-5-1984 चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, कानपुर।

3. मृतक और उसकी संपत्ति के खिलाफ वसूली प्रक्रिया से अवगत होने पर, याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ में आपराधिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और उसे अवगत कराया कि चूंकि पति की मृत्यु हो गई थी, और चूंकि पंजीकृत वसीयत के तहत, ऊपर संदर्भित, वह एकमात्र बन गया था मृत पति की चल और अचल संपत्तियों के मालिक, भरण-पोषण की बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया और संपत्तियों की कुर्की की मांग अमान्य हो गई थी और तदनुसार, वारंट वापस लेने की प्रार्थना की गई थी। विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, कुर्की के वारंट वापस ले लिए और भरण-पोषण की वसूली के लिए पत्नी के आवेदन को खारिज कर दिया। उसने सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने यह विचार किया कि जिस अवधि के लिए पति जीवित था, उस अवधि के लिए भरण-पोषण भत्ते की राशि पत्नी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि सीआर की धारा 421(1)(बी) के तहत प्रदान किया गया है। पीसी और, इस प्रकार, उन्होंने पत्नी के आवेदन को बहाल कर दिया, मजिस्ट्रेट को उस अवधि के लिए रखरखाव भत्ते की वसूली के लिए उपरोक्त प्रावधानों के तहत वारंट जारी करने का निर्देश दिया, जब तक पति जीवित था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का यही दृष्टिकोण इस याचिका में चुनौती का विषय है, चाहे इसे धारा 397 के तहत पुनरीक्षण कहा जाए या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक विविध आवेदन । पीसी

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हरि सिंह एमएसटी किया बनाम गुलाब (1) देवी पर भरोसा, पेशावर न्यायिक आयुक्त न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का फैसला, और अंबादास

बाजीराव बनाम अन्नपुमा बाई (2), नागपुर उच्च न्यायालय की एक समान बेंच का फैसला, उनके तर्क को पुष्ट करने के लिए कि एक दावा भरण-पोषण का बकाया उस व्यक्ति की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है जिसके विरुद्ध पुरानी सीआरपीसी की धारा 488(1) के तहत आदेश दिया गया है । उसके बाद उसकी संपत्ति के खिलाफ इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने रमेश चंद्र कौशल बनाम श्रीमती वीरिया कौशा (3) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि कानून की पुरानी व्याख्या को एक ऐसी व्याख्या का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए जो निराश्रित महिलाओं के हित को आगे बढ़ाएगी यदि इसकी सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए स्वतंत्रता के बाद के काल में. हालांकि सीधे तौर पर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर नहीं है. फिर भी, यह कानून की अधिक लाभकारी व्याख्या का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक प्रकाशस्तंभ है। लेकिन, उस संबंध में प्रयास करने से पहले, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है:

(नीचे तालिका देखें) प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सामने आता है। जबकि पुरानी संहिता की धारा 488(6) के तहत, अध्याय XXXVI के तहत सभी साक्ष्य पति की उपस्थिति में या, जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी, उसके वकील की उपस्थिति में लिया जाना आवश्यक था, आवश्यक क्रम यह था कि पर्याप्त कारण के बिना भरण-पोषण आदेश का पालन करने में पति की विफलता के बारे में सभी साक्ष्य भी पति की उपस्थिति में लिए जाने थे क्योंकि ऐसा प्रावधान उक्त अध्याय XXXVI में था; अब नई संहिता के तहत, हालांकि साक्ष्य दर्ज करने की विधि वही है, जैसा कि धारा 126(2) से स्पष्ट है , लेकिन ऐसी विधि केवल उन कार्यवाही पर लागू होती है जिसमें रखरखाव का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है और अध्याय के तहत प्रत्येक कार्यवाही गर्म होती है। . दूसरे शब्दों में, नई संहिता की धारा 125(3) के तहत कार्यवाही में पति या उसके वकील की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य लेना अनिवार्य नहीं है। मजिस्ट्रेट, पत्नी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय सबूत पर, नई संहिता की धारा 125(3) का सहारा ले सकता है और भरण-पोषण आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक वारंट जारी कर सकता है और यह पति पर निर्भर है कि वह आए और इस प्रक्रिया का विरोध करे। आदेश का अनुपालन न करने का पर्याप्त कारण था। जब तक वह कदम नहीं उठाया जाता, तब तक यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि पत्नी का यह कहना कि पति पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में विफल रहा है, मजिस्ट्रेट को अपेक्षित वारंट जारी करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। उपरोक्त व्यक्त दृष्टिकोण अब और अधिक स्पष्ट हो जायेगा।

आपराधिक प्रक्रिया की पुरानी संहिता, आपराधिक प्रक्रिया की नई संहिता, 1898 प्रक्रिया, 1973 अध्याय XXXVI अध्याय IX धारा 488 । धारा 125 कायम रखने का आदेश । पत्नियों, पत्नियों और बच्चों के भरण-पोषण के लिए आदेश: बच्चे और माता-पिता:

(1) * * * * * (1) * * * * * (2) * * * * * * (2) * * * * * * (3) यदि कोई व्यक्ति ऐसा आदेश दिए बिना विफल रहता है (3) यदि इस प्रकार आदेश दिया गया कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना आदेश, आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए, आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए, आदेश जारी कर सकता है। जुर्माना लगाने के लिए यहां पहले दिए गए तरीके के अनुसार देय राशि में सुराग लगाने के लिए वारंट जारी करने के लिए एक वारंट जारी करें, और ऐसे व्यक्ति को सजा दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है, और प्रत्येक महीने के व्यक्ति के पूरे या किसी हिस्से के लिए सजा दे सकता है। , निष्पादन के बाद भत्ते का पूरा या कुछ भाग अवैतनिक रह जाने पर–

वारंट के शेष रहने पर प्रत्येक माह का भत्ता, एक अवधि या वारंट के निष्पादन के बाद अवैतनिक होने पर कारावास, जिसे एक महीने या वारंट तक बढ़ाया जा सकता है, भुगतान होने तक एक अवधि के लिए कारावास, यदि पहले भुगतान किया जाता है:

जिसे एक महीने तक या भुगतान जल्दी होने तक बढ़ाया जा सकता है: धारा 126 । प्रक्रिया:

(6) इस अध्याय के तहत सभी साक्ष्य (1) धारा 125 के तहत कार्यवाही किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ की उपस्थिति में की जा सकती है--

जैसा भी मामला हो, पति या पिता, या, जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति (ए) जहां वह है, या उसके वकील की उपस्थिति में नहीं है, और (बी) जहां वह या उसकी पत्नी रहती है, में दर्ज की जाएगी या समन-मामलों के मामले में निर्धारित तरीके से: (सी) जहां वह आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ रहता था, या * * * * * * * * * * * * * मामला हो सकता है, नाजायज बच्चे की मां के साथ।

(2) ऐसी कार्यवाहियों में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिसके खिलाफ गुजारा भत्ता के भुगतान का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति उसके वकील की उपस्थिति में समाप्त हो जाती है, और दर्ज की जाएगी समन-मामलों के लिए निर्धारित तरीके:

* * * * * * (जोर दिया गया)

5. ईद अली बनाम लाल बीबी एआईआर (4) में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने यह विचार किया कि भरण-पोषण के लिए संहिता की धारा 488 के तहत पारित मजिस्ट्रेट का आदेश मृत्यु के बाद लागू नहीं किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था, उसकी संपत्ति के विरुद्ध। यह अनुपात मिसाल से निम्नलिखित उद्धरण पर आधारित है:

देय राशि वसूलने के लिए धारा 488 , उपधारा (3) के तहत एक वारंट जारी किया जा सकता है , यह पाया जाना चाहिए कि आदेश का पालन करने में जानबूझकर उपेक्षा की

गई है और मजिस्ट्रेट को यह पता लगाने में सक्षम बनाना होगा कि वहाँ था जानबूझ कर की गई उपेक्षा के कारण, साक्ष्य को उप-धारा (6), धारा 488 के तहत लिया जाना चाहिए और उप-धारा कहती है कि "अध्याय 36 के तहत सभी साक्ष्य, पति या पिता की उपस्थिति में लिए जाएंगे, क्योंकि मामला हो सकता है, या, जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को उसके वकील की उपस्थिति में समाप्त कर दिया जाता है, और समन मामलों के मामले में निर्धारित तरीके से दर्ज किया जाएगा।" उपधारा की भाषा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायिका के दिमाग में एक मृत व्यक्ति का उदाहरण, जिसकी संपत्ति के खिलाफ भरण-पोषण के बकाया का दावा किया जा सकता है, कभी मौजूद नहीं था। निःसंदेह, यह केवल एक अनुमान है जिसे हम व्यक्त करते हैं और हम इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते हैं; लेकिन जैसा कि यह कानून है, उस पक्ष की उपस्थिति की आवश्यकता के संबंध में काफी स्पष्ट है जिसके खिलाफ सबूत लिया जा रहा है और यह विद्वान वकील द्वारा बताया गया है, जो नियम के समर्थन में सामने आया है, कि व्यक्ति इसके खिलाफ है जिसके मृत होने पर आदेश पारित किया गया था, अब कोई दावा नहीं है जिसे मृतक की संपत्ति के खिलाफ संहिता की धारा 488 के तहत लागू किया जा सके।

यह वह दृष्टिकोण है जिसे पेशावर न्यायिक आयुक्त की अदालत ने हरि सिंह के मामले (सुप्रा) में अपनाया था और मिसाल को इस प्रकार देखकर समझा गया था:

सत्तारूढ़ मुख्य रूप से इस तथ्य पर निर्भर करता है कि, उसकी मृत्यु के बाद, एक मृत पति को सीआरपीसी की धारा 488 के खंड (3) में निर्धारित आदेश का पालन करने में पर्याप्त कारणों के बिना विफल नहीं माना जा सकता है। पीसी और उस साक्ष्य को पति की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जा सकता था जैसा कि उस धारा के खंड (6) के अनुसार आवश्यक था जब पति की मृत्यु हो गई थी।

और उपरोक्त दोनों विचारों को अंबादास बाजीराव के मामले (सुप्रा) में नागपुर उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा समर्थन दिया गया था।

6. जिस धुरी पर उपरोक्त तीन निर्णय घूमते हैं, वह यह है कि एक मृत पति, अपनी मृत्यु के बाद, पुराने कोड की धारा 488 की उप-धारा (3) के तहत उप-धारा (6) के तहत जांच में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं हो सकता है। उस धारा के लिए उसकी या उसके वकील की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, और उसकी मृत्यु के बाद, पति को धारा 488 की उप-धारा (3) में दी गई कल्पना के अनुसार, पर्याप्त कारणों के बिना, आदेश का पालन करने में विफल नहीं माना जा सकता है। पुराना कोड. जैसा कि पहले व्यक्त किया गया था, कानून की योजना में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, अब नई सीआर की धारा 125 की उप-धारा (3) के तहत एक जांच में। साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के समय पति या उसके वकील की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और जब तक पति जीवित है, वह पर्याप्त कारणों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने में सक्षम है, जिसके कारण उसकी ओर से आदेश का पालन करने में विफलता हुई। यह तथ्य कि वह पर्याप्त कारणों के बिना, आदेश का पालन करने में विफल रहा, अब जरूरी नहीं कि उसकी उपस्थिति में

निर्धारित किया जाए और, जैसा कि पहले देखा गया है, उस संबंध में प्रथम दृष्टया सबूत पर, मजिस्ट्रेट कानून को गति दे सकता है भरण-पोषण की बकाया राशि की वसूली के लिए, जब तक कि पति आगे आकर यह साबित न कर दे कि उसके पास आदेश का अनुपालन न करने के लिए पर्याप्त कारण या कारण हैं। जब तक इस तरह की कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, आपराधिक न्यायालय को ऐसे पर्याप्त कारणों की अनुपस्थिति या केवल इस तथ्य के कारण मान लेने का अधिकार होगा कि भरण-पोषण का बकाया देय है। और यह धारणा पति की मृत्यु की तिथि तक वैध रूप से कायम रह सकती है। केवल पति की मृत्यु पर ही वह कारण की पर्याप्तता दिखाने से मुक्त हो जाता है और भरण-पोषण का आदेश अप्रवर्तनीय हो जाता है, क्योंकि कानून के तहत प्रदान किया गया अवसर उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, जैसा कि मेरा विचार है, उसकी संपत्ति पर पति की मृत्यु की तारीख से परे किसी भी अवधि के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत रखरखाव आदेश की प्रवर्तनीयता का बोझ नहीं डाला जा सकता है, लेकिन पति की मृत्यु तक की अवधि के लिए इसे लागू किया जा सकता है।

7. इस स्तर पर, कैप्टन रमेश चंद कौशल के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, जो उपरोक्त दृष्टिकोण पर पहुंचने में बहुत मददगार रही हैं, को यहां पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

यह प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आता है । हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतों द्वारा निर्माण के लिए बुलाए जाने वाले क़ानून के खंड डरावने प्रिंट नहीं हैं लेकिन सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए जीवंत शब्द। महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक सहानुभूति की विचारशील उपस्थिति को यदि सामाजिक प्रासंगिकता चाहिए तो इसकी व्याख्या अवश्य की जानी चाहिए। इस प्रकार देखा जाए तो, दो विकल्पों में से उस व्याख्या को चुनने में चयनात्मक होना संभव है जो कारण को आगे बढ़ाता है - अपमान के कारण को।

8. दंड संहिता की धारा 70 के प्रावधानों से भी काफी ताकत प्राप्त होती है । नई सीआरपीसी की धारा 125(3) . पीसी धारा 421 के प्रावधानों की सहायता लेती है जिसके तहत जुर्माना वसूलने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। दंड संहिता की धारा 70 में प्रावधान है कि जुर्माना आम तौर पर सजा के पारित होने के बाद छह साल के भीतर लगाया जा सकता है और अपराधी (जिस व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ता है) की मृत्यु के बाद किसी भी संपत्ति को दायित्व से मुक्त नहीं किया जाता है। उसकी मृत्यु, उसके ऋणों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होगी। जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया वही रहती है, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर वास्तव में मामले के संदर्भ में वसूली बंद नहीं होती है। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि भरण-पोषण के बकाया का संचय पति की मृत्यु की तारीख पर बंद हो जाता है और संचित बकाया उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति से जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है।

9. निष्कर्ष से पहले, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत एक अंग्रेजी मामला, चांसरी डिवीजन ने बीडी बनाम जनरल एक्सीडेंट, फायर एंड लाइफ एश्योरेंस कार्पोरेशन (5) में रिपोर्ट किया था। लिमिटेड (1948) 1 सभी ईआर 885, और रे बिडी (मृतक), बिडी बनाम जनरल एक्सीडेंट, फायर एंड लाइफ एश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लिमिटेड (6) में रिपोर्ट की गई अपील की अदालत का उल्लेख करना मुश्किल है। यह कहें कि उसमें विकसित सिद्धांत उस देश में मौजूद वैधानिक कानून के लिए मान्य हैं और सीआर के प्रावधानों की व्याख्या में कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। पत्नियों और बच्चों के भरण-पोषण से संबंधित पीसी, जो मुख्य रूप से आवारापन की रोकथाम और निराश्रित पत्नियों और बच्चों और अब माता-पिता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित हैं।

10. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरा मानना है कि पति की मृत्यु की तारीख तक देय भरण-पोषण की बकाया राशि उसकी संपत्ति से, चाहे वह किसी भी व्यक्ति के हाथ में हो, वसूली योग्य है। इस प्रकार, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा

(1) 1944 Criminal Law Journal 399.

(2) 1953 Cr. Law Journal 1267.

(3) A.I.R. 1978 S.C. 1807.

(4) A.I.R. 1914 Cal. 172.

(5) 1948(1) All England Law Report, 1885.

(6) 1948(2) All England Law Report 995.